



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25012022-232910
CG-MH-E-25012022-232910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943

No. 50]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 जनवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध)

(संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/71.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रहजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में,-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित, किंतु अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्यूरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1956] [1956 का 42], निक्षेपागार अधिनियम, 1996 [डिपॉज़िटरीज़ एक्ट, 1996] [1996 का 22], कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों (रेग्यूलेशन्स) में परिभाषित शब्दों आदि के वही अर्थ होंगे, जो, यथास्थिति, उन अधिनियमों, उनके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी संशोधन या उनकी पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए दिए हुए हैं।”

II. विनियम 4 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(ट) किसी मीडिया (फिर चाहे वह फिज़िकल हो या डिजिटल) के जरिए, लापरवाही आदि से, ऐसी जानकारी या सलाह प्रसारित करना, जिसके बारे में उस जानकारी या सलाह को प्रसारित करने वाले व्यक्ति को यह पता हो कि वह मिथ्या या भ्रामक है और जो प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (व्यौहार / डीलिंग) करने वाले निवेशकों के निर्णय (विनिश्चय) पर असर डालने के मकसद से गढ़ी जाए या जिससे प्रतिभूतियों में लेनदेन करने वाले निवेशकों के निर्णय पर असर पड़ने की संभावना हो;”

III. विनियम 6 में,

i. खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

“(2) किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) पब्लिक कंपनी या किसी पब्लिक कंपनी [जो अधिनियम की धारा 12 के अनुसार मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) न हो], जो किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध करवाना चाहती हो, की किसी बही, या रजिस्टर, या अन्य दस्तावेज या रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की, जहाँ अन्वेषक प्राधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी) के पास यह विश्वास करने के तर्कसंगत आधार हों कि ऐसी कंपनी अपना कामकाज आदि इन विनियमों का उल्लंघन करके कर रही है;”

ii. खंड (4) में, शब्दों तथा चिहनों “एक मास की अधिकतम कालावधि जो बोर्ड द्वारा छह मास की कालावधि तक बढ़ायी जा सकेगी के लिए इस विनियम के अधीन पेश की गई किन्हीं बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को उसकी अभिरक्षा में रखने की:” के स्थान पर शब्द तथा चिह्न “इस विनियम के तहत पेश की गई किन्हीं बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और रिकॉर्ड को अधिक से अधिक छह महीनों की अवधि तक अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में रखने की:”

iii. खंड (6) के बाद निम्नलिखित नए खंड आ जाएंगे, अर्थात्,-

“(7) किसी व्यक्ति [जिसमें कोई बैंक अथवा किसी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत बनाया गया कोई अन्य प्राधिकरण या बोर्ड या निगम (कारपोरेशन) शामिल है] से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में हुए किसी ऐसे लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांज़ैक्शन) से संबंधित जानकारी और रिकॉर्ड मंगाने की, जिसके संबंध में तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) की जा रही हो;

(8) किन्हीं बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और रिकॉर्ड को जब्त (का अभिग्रहण) करने का आदेश जारी किए जाने हेतु मुंबई में स्थित नामनिर्दिष्ट (डेसिग्रेटेड) न्यायालय (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए) के न्यायाधीश के समक्ष आवेदन करने की, यदि तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) के दौरान अन्वेषक प्राधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी) के पास यह विश्वास करने का उचित आधार हो कि किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) से जुड़े किसी व्यक्ति की या से संबंधित ऐसी बहियाँ, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और रिकॉर्ड किसी भी प्रकार से नष्ट आदि किए जा सकते हैं, बदले आदि जा सकते हैं या छिपाए आदि जा सकते हैं;

(9) इन विनियमों के तहत जब्त की गई बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और रिकॉर्ड को उतनी अवधि तक [अधिक से अधिक तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) पूरी होने तक] अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में रखने की, जैसा वह जरूरी समझे, और उसके बाद उन्हें उस व्यक्ति, कंपनी या अन्य निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) अथवा, यथास्थिति, उस प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को लौटाने की, जिसकी अभिरक्षा (कस्टडी) या जिसके नियंत्रण में वे दस्तावेज थे:

परंतु यह कि अन्वेषक प्राधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी), उपरोक्तानुसार ऐसी बहियाँ, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और रिकॉर्ड लौटाने से पहले, उन पर या उनके किसी हिस्से पर पहचान चिह्न लगा सकेगा;

(10) इस विनियम में अन्यथा जो प्रावधान किए गए हैं उनके सिवाय, इस विनियम के तहत की जाने वाली प्रत्येक तलाशी या जब्ती, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधानों (जो उस संहिता के तहत तलाशी या जब्ती से संबंधित हों) के अनुसार की जाएगी।"

IV. विनियम 7 हट जाएगा।

V. विनियम 8 में,

i. उप-विनियम (1) में,

क. शब्द तथा अंक "विनियम 7 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "विनियम 5 के तहत" आ जाएंगे;

ख. खंड (ख) में, शब्द तथा अंक "या विनियम 7" हट जाएंगे;

ii. उप-विनियम (3) में,

क. शब्द "उपबंधों" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "प्रावधानों (उपबंधों)" आ जाएंगे।

ख. खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(क) अन्वेषक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) करने के उद्देश्य से किसी भी उपयुक्त समय पर ऐसे व्यक्ति के परिसरों तक पहुँच रखने की अनुमति देगा;"

ग. खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) अन्वेषक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को किन्हीं बहियों, लेखों (अकाउंट) और अन्य दस्तावेजों [जो उसकी अभिरक्षा (कस्टडी) या नियंत्रण में हों, फिर चाहे वे कागजी रूप में रखे गए हों या कंप्यूटर में रखे गए हों या किसी अन्य रूप में रखे गए हों] की जाँच-पड़ताल करने के लिए पूरी-पूरी सुविधाएँ देगा, जो भी तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) करने के उद्देश्य से जरूरी हों;

घ. खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) ऐसे अन्वेषक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बहियाँ, लेखे (अकाउंट) और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा, जो, अन्वेषक प्राधिकारी की राय में, तहकीकात (अन्वेषण / इन्वेस्टिगेशन) करने के लिए जरूरी हों अथवा, यथास्थिति, अन्वेषक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति को उनके कंप्यूटर प्रिंट-आउट लेने की अनुमति देगा।"

VI. विनियम 11 में, उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(2) उप-विनियम (1) के तहत पारित किया गया कोई अंतिम आदेश बोर्ड के वेबसाइट पर डाला जाएगा।"

VII. विनियम 11क के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात् -

"बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले समनों और सूचनाओं (नोटिस) की तामील करने का तरीका

11क. (1) इन विनियमों के तहत बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले समन या सूचना (नोटिस) की तामील संबंधित व्यक्ति को नीचे दिए गए माध्यमों में से किसी माध्यम से की जाएगी, अर्थात्,-

- (क) उस व्यक्ति या उसके द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत किए गए एजेंट को डिलीवर करके या सौंपकर; या
- (ख) उस व्यक्ति को फैक्स के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जरिए या कुरियर के जरिए या स्पीड पोस्ट के जरिए या रजिस्ट्री डाक के जरिए भेजकर:

परंतु यह कि कुरियर या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक (रसीदी), उसके निवास स्थान के पते पर या उसके निवास स्थान के अंतिम ज्ञात पते पर अथवा उस स्थान पर जहाँ वह कारोबार करता हो या उस स्थान पर जहाँ उसने अंतिम बार कारोबार किया हो अथवा उस स्थान पर जहाँ वह फायदे के लिए स्वयं कार्य कर रहा हो या उस स्थान पर जहाँ उसने फायदे के लिए अंतिम बार स्वयं कार्य किया हो, भिजवाया जाएगा:

परंतु यह और कि फैक्स से भिजवाए जाने वाले समन या सूचना (नोटिस) में यह उल्लेख किया जाएगा कि वह फैक्स से भिजवाया जा रहा है और यदि दस्तावेज के साथ कुछ और पृष्ठ भी हों, तो भिजवाए जाने वाले पृष्ठों की संख्या का भी उल्लेख किया जाएगा:

परंतु यह और कि इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस के जरिए भिजवाए जाने वाले समन या सूचना (नोटिस) पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा

डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे और यदि इलेक्ट्रॉनिक मेल वापस आ जाता है (बाउंस हो जाता है) तो यह नहीं माना जाएगा कि उसकी विधिवत् रूप से तामील हो गई है।

(2) यदि उप-विनियम (1) में बताए गए माध्यमों में से किसी भी माध्यम से समन या सूचना (नोटिस) की तामील न हो पाए, तो ऐसे में समन या सूचना (नोटिस) उस परिसर के बाहरी द्वार पर या उस परिसर के ऐसे किसी हिस्से पर चिपकाया जा सकेगा जो वहाँ आने पर सामने से ही दिखाई दे, जिस परिसर में वह व्यक्ति रहता हो या जो उसका अंतिम ज्ञात निवास स्थान हो अथवा जहाँ उसने कारोबार किया हो अथवा जहाँ वह फायदे के लिए स्वयं कार्य कर रहा हो या जहाँ उसने फायदे के लिए अंतिम बार स्वयं कार्य किया हो, और जिसकी लिखित रिपोर्ट दो गवाहों की मौजूदगी में तैयार की जाएगी।

(3) यदि उप-विनियम (2) के अनुसार समन या सूचना (नोटिस) को बाहरी द्वार पर चिपकाया न जा सके, तो ऐसे में समन या सूचना को कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जिनमें से एक पूरे देश में परिचालित होने वाले अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी और दूसरी उस क्षेत्र की भाषा में व्यापक रूप से परिचालित होने वाले समाचारपत्र में प्रकाशित की जाएगी, जो उस व्यक्ति का अंतिम ज्ञात निवास स्थान हो या जहाँ उसने कारोबार किया हो या जहाँ उसने फायदे के लिए अंतिम बार स्वयं कार्य किया हो।”

VIII. विनियम 12 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) बोर्ड, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों या उनके तहत जारी किए गए निदेशों या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के तहत की जाने वाली किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश के माध्यम से, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में दर्ज किए जाएँ, निवेशकों और प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) के हित में किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई कर सकेगा:

- (क) चेतावनी या निर्दा-पत्र (सेन्शर) जारी कर सकेगा;
- (ख) मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित कर सकेगा; या
- (ग) मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगा:

परंतु यह कि इन विनियमों का उल्लंघन किए जाने के विषय में किसी मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित या रद्द किए जाने के संबंध में कोई भी अंतिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008 [सेबी (इंटरमीडियरीज़) रेग्यूलेशन्स, 2008] के तहत ऐसे मध्यवर्ती पर लागू विनियमों में दी हुई प्रक्रिया का पालन नहीं कर लिया जाता।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./607/2021-22]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुभ व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुभ व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 तत्पश्चात् -

- i. 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, द्वारा
 - ii. 11 दिसम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455, द्वारा
 - iii. 6 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/22/22670, द्वारा
 - iv. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/56, द्वारा
 - v. 13 मार्च, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/08, द्वारा
 - vi. 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अक्रजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/36, द्वारा
- संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(PROHIBITION OF FRAUDULENT AND UNFAIR TRADE PRACTICES RELATING TO SECURITIES MARKET) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/71.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, –
 - I. In regulation 2, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely—

“(2) The words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Companies Act, 2013 (18 of 2013), or any rules or regulations made thereunder shall have the

same meanings respectively assigned to them in those acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be”.

- II. In regulation 4, in sub-regulation (2), clause (k) shall be substituted with the following, namely—
- “(k) disseminating information or advice through any media, whether physical or digital, which the disseminator knows to be false or misleading in a reckless or careless manner and which is designed to, or likely to influence the decision of investors dealing in securities;”
- III. In regulation 6,
- i. in clause (2), after the words “has been conducting” and before the words “in violation of”, the words “its activities” shall be inserted;
 - ii. in clause (4), the words “one month which may be extended upto a period of” and the words “by the Board” shall be omitted;
 - iii. after clause (6), the following new clauses shall be inserted, namely—

“(7) to call for information and record from any person including any bank or any other authority or board or corporation established or constituted by or under any Central, State or Provincial Act in respect of any transaction in securities which are under investigation;

(8) to make an application to the Judge of the designated court in Mumbai as notified by the Central Government for an order for the seizure of any books, registers, other documents and record, if in the course of investigation, the Investigating Authority has reasonable ground to believe that such books, registers, other documents and record of, or relating to, any intermediary or any person associated with securities market in any manner may be destroyed, mutilated, altered, falsified or secreted;

(9) to keep in his custody the books, registers, other documents and record seized under these regulations for such period not later than the conclusion of the investigation as he considers necessary and thereafter to return the same to the person, the company or the other body corporate, or, as the case may be, to the managing director or the manager or any other person from whose custody or power they were seized:

Provided that the Investigating Authority may, before returning such books, registers, other documents and record as aforesaid, place identification marks on them or any part thereof;

(10) save as otherwise provided in this regulation, every search or seizure made under this regulation shall be carried out in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to searches or seizures made under that Code.”
- IV. Regulation 7 shall be omitted.
- V. In regulation 8,
- i. in sub-regulation (1),
 - a. the words and figure “under regulation 7” shall be substituted with the words and figure “under regulation 5”;
 - b. in clause (b), the words and figure “or regulation 7” shall be omitted;
 - ii. in sub-regulation (3),
 - a. in clause (a), after the words “Investigating Authority” and before the words “to have access”, the words “or any person authorized by him in this behalf” shall be inserted;
 - b. in clause (b), after the words “Investigating Authority” and before the words “reasonable facilities”, the words “or any person authorized by him in this behalf” shall be inserted;
 - c. clause (c) shall be substituted with the following, namely—

“(c) provide to such Investigating Authority or any person authorized by him in this behalf any such books, accounts and records which, in the opinion of the Investigating Authority, are relevant to the investigation or, as the case may be, allow the Investigating Authority or any person authorized by him in this behalf to take computer print-outs thereof.”

- VI. In regulation 11, sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely—
“(2) Any final order passed under sub- regulation (1) shall be put on the website of the Board.”
- VII. Regulation 11A shall be substituted with the following, namely—
“Manner of service of summons and notices issued by the Board.
 11A. (1) A summons or notice issued by the Board under these regulations shall be served on the person through any of the following modes, namely—
 (a) by delivering or tendering it to that person or his duly authorised agent; or
 (b) by sending it to the person by fax or electronic mail or electronic instant messaging services along with electronic mail or by courier or speed post or registered post:
 Provided that the courier or speed post or registered post shall be sent to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain, with acknowledgment due:
 Provided further that a summons or notice sent by fax shall bear a note that the same is being sent by fax and in case the document contains annexure, the number of pages being sent shall also be mentioned:
 Provided further that a summons or notice sent through electronic mail or electronic instant messaging services along with electronic mail shall be digitally signed by the competent authority and bouncing of the electronic mail shall not constitute valid service.
 (2) In case of failure to serve a summons or notice through any one of the modes provided under sub-regulation (1), the summons or notice may be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works, or last worked, for gain and a written report thereof shall be prepared in the presence of two witnesses.
 (3) In case of failure to affix the summons or notice on the outer door as provided under sub-regulation (2), the summons or notice shall be published in at least two newspapers, one of which shall be in an English daily newspaper having nationwide circulation and another shall be in a newspaper having wide circulation published in the language of the region where that person was last known to have resided or carried on business or personally worked for gain.”
- VIII. In regulation 12,
 i. in sub-regulation (1), the words and symbols “the provisions contained in sub-sections (1), (2), (2A) and (3) of section 11 and section 11B of the Act” shall be substituted with the words and symbol “any action under the securities laws or directions or circulars issued thereunder”;
 ii. in proviso to sub-regulation (1), the words and symbols “(Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002” shall be replaced with the words and symbols “(Intermediaries) Regulations, 2008”.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./607/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was published in the Gazette of India on July 17, 2003 vide No. S. O. 816(E).
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003 was amended on -
 - i. April 23, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 vide No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007;

- ii. December 11, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455;
- iii. September 06, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/22/22670;
- iv. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018 /56.
- v. March 13, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/08.
- vi. October 19, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Second Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/36.